366

ज्ञापांक 993 /परि.
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय,बिहार,पटना।
पटना। दिनांक–21 अगस्त, 2018

सेवा मे,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– पुलिस परिवहन मुख्यालय, बिहार, पटना की रद्दघोषित 11(ग्यारह) अदद पुलिस गाड़ियों की सार्वजनिक निलामी द्वारा बिकी की सूचना को प्रचारित/प्रसारित करने के सम्बन्ध में।

------0------

निर्देशानुसार उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य पुलिस परिवहन मुख्यालय, बिहार, पटना की रद्दघोषित 11(ग्यारह) अदद पुलिस वाहनों की सार्वजनिक निलामी की तिथि दिनांक–14.09.2018 को 11.00 बजे निर्धारित की गई है। तद्नुसार सार्वजनिक निलामी से संबंधित विज्ञापन–सूचना 08 (आठ) प्रतियों में CD सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न सार्वजनिक निलामी की सूचना का प्रकाशन सरकारी नियमानुसार दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराकर इसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोपरि।

6/2018

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण),
बिहार, पटना ।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित ।

अनु0- यथोपरि।

6/2018

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण),
बिहार, पटना ।

Scanned by CamScanner

(365)

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

सार्वजनिक निलामी सूचना संख्या–02/2018

राज्य पुलिस परिवहन मुख्यालय, बिहार, पटना की निम्नलिखित रद्दघोषित 11(ग्यारह) पुलिस गाडियो की सार्वजनिक निलामी दिनांक– 14.09.2018 को प्रातः 11.00 बजे एच.क्यू. आर.टी., नवीन पुलिस केन्द्र, पटना कैम्पस, लोदीपुर, पटना में डाक द्वारा निम्न शर्तो के अधीन की जायगी।

क0	निबंधन संख्या	प्रकार	मॉडल
01	BR1H-6196	CAR	1996
02	BR1Q-1000	CAR	2000
03	BR1K-1111	CAR	1996
04	BR01M-9596	CAR	1999
05	BR01AB-8207	CAR	2005
06	BR1P-2894	JEEP	1999
07	BR1P-2810	JEEP	1999
08	BR1P-1939	JEEP	1998
09	BR1AP-1002	COM.JEEP	2004
10	BR1AP-1003	COM.JEEP	2004
11	BR1P-0831	5 TONER	1998

उपरोक्त गाड़ियॉ, जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में दी जाएगी। इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में उपर्युक्त वाहनों का निरीक्षण कर सकते है।

निलामी डाक आरम्भ होने के पूर्व में भाग लेने वाले इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को प्रति वाहन रूपये–5,000/–(पॉच हजार रूपये) मात्र की दर से बैंक ड्राफ्ट अग्रिम के रूप में A.I.G (W), Bihar, Patna के नाम से जमा करना होगा। किसी भी प्रकार का गिल्ड/गिरोह का समूह बनाकर भाग लेने वाले के विरूद्व कानुनी कार्रवाई की जायेगी। पुलिस विभाग का कोई कर्मी या उसका परिवार इस निलामी में भाग नहीं लेगा। निलामी समाप्त होने के बाद असफल डाक बोलने वाले बीडरों को ड्राफ्ट तुरंत वापस कर दिया जायगा। उच्चतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को निलामी के पश्चात् उसी समय गाड़ी के मूल्य की आधी राशि जमा करने होगें। शेष राशि एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा अन्यथा जमा मनी जप्त करते हुए निलामी की कार्रवाई रद्द कर दी जायगी। निर्धारित अवधि के भीतर शेष राशि जमा कर गाड़ी की डिलेवरी नहीं लेते है, तो उनके द्वारा जमा की गई पूरी राशि जप्त कर ली जायेगी। अग्रिम राशि (बैंक ड्राफ्ट) निलामी के निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व जमा करनी होगी।

अद्योहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित है कि सरकारी हित में किसी भी डाक को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए निलामी की कार्रवाई संशोधित, स्थगित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

6/2018

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण),
बिहार, पटना ।

Scanned by CamScanner